न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल न.

50/2022 तारीख दायर 08/04/2022 तारीख फैसला 02/02/2023

– उनवान –

1. कुलदीप सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम सानकोटडा, तहसील आंधी हाल निवासी मकान नं0 2172 सानकोटडा हाउस, सांगानेरी गेट जौहरी बाजार, जयपुर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र फतेह सिंह
2. रूप कंवर पत्नि उम्मेद सिंह
3. जगत सिंह पुत्र प्रताप सिंह
4. हेम सिंह पुत्र प्रताप सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी हाल निवासी मकान न0 2172 सानकोटडा हाउस, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, जयपुर।
5. बलराम दास चैला रामस्वरूप दास बोलक्या मन्दिर सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर।
6. मन्दिर श्री राधोजी जरिये महंत नामालूम ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर।
7. अलीमोहम्मद खां पुत्र गुलाबखा
8. इमरानखा पुत्र अल्लादीनखा
9. इस्लामखां पुत्र अल्लादीनखा
10. ईदी पत्नि कालूखा
11. इन्दुखा पुत्र नसीरखा
12. तोफन पत्नि बाबूखा
13. फकीरखा पुत्र गुलाबखा
14. बुल पत्नि नसीरखां
15. बुन्दुखा पुत्र नसीरखा
16. महराजखां पुत्र अल्लादीनखा
17. शरीफखां पुत्र बाबू
18. हुसैनखा पुत्र अल्लादीनखा

    समस्त जाति मुसलमान निवासी आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर, राजस्थान।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर – वकील प्रार्थी।

श्री रामकरण शर्मा :– वकील अप्रार्थी स0 2

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

– निर्णय –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 576 रकबा 5.3400 हैक्टेयर स्थित ग्राम सानकोटडा पटवार हल्का सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर मे स्थित हैं। उक्त भूमि राजस्व ग्राम आंधी से लगवा स्थित है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थी स0 1 ता 6 जिनकी भूमि खसरा नम्बर 574, 577, 568, 570 ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी मे स्थित है। जो कि प्रार्थी की भूमि की सोमाडोल से लगवा स्थित है। व अप्रार्थी स0 7 ता 18 की भूमि खसरा नम्बर 443, 1537/445, 1539/445 राजस्व ग्राम आंधी तहसील आंधी की भूमि है। जो कि प्रार्थी की भूमि की सीमाडोल से लगवा स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियो प्रार्थी की भूमि के लगवा स्थित है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थी को हैरान व परेशान करते रहते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार को कोई हक व अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थी की भूमि मे प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर

उपखण्ड अधिकारी

रहे है तथा प्रार्थी अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 को करवा चुका है। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान चिन्हीकरण को न मानते हुये तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी आये दिने हैरान परेशान करते रहते है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की पुख्ता पत्थरगढी करवाकर सीमा चिन्हित करवा सका तथा जिससे की भविष्य में किसी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न ना हो। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण को इस कदर का आदेश जारी फरमाया जावें, कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 438/467 मि. रकबा 5.34 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड तरमीम शुद्वा रही है जिसको अवधि बंदोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 के परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 5.34हैक्टेयर कायम किये गये है तथा प्रार्थीया की तन्हा खातेदारी भूमि का हाल नक्शा पूर्व नक्शे से भिन्न तरमीम कर हाल नक्शा संकुचित कर दिया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 570, 576, 577 का हाल नक्शा रकबे से अधिक तरमीम कर दिया गया तथा पूर्व नक्शें व हाल नक्शें का मौका मिलान में भिन्नता है एकीकरण नक्शा ट्रेस का हाल सर्वे शीट का मिलान करने से भिन्नता आती है। मौका निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि हाल सर्वेशीट मे मौका मिलान नही खाता है। हाल नक्शा व पूर्व नक्शा मे मिलान नही होता है। ऐसी स्थिति में गलत नक्शें से पत्थरगढी के आदेश दिये जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी स0 2 ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 56/2022 उनवान रूपकंवर बनाम राजस्थान सरकार के नाम नक्शा दुरूस्ति का प्रकरण प्रस्तुत कर दिया है जिसके विचाराधीन रहते हुये बिना नक्शा दुरूस्त किये गलत नक्शें के आधार पर पत्थरगढी किया जाना उचित नही है। इसलिये गलत नक्शें के आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायाचित नही है तथा जवाब मदवार में निवेदन किया है कि मद सं0 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम होना मात्र स्वीकार है किन्तु उक्त भूमि का नक्शा तरमीम गलत है तथा उक्त भूमि के लगवा अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी 574 स्थित है तथा खसरा नम्बर 574, 570, 576, 577 के बाबत अप्रार्थी सं0 2 ने नक्शा दुरूस्ती का प्रकरण संख्या 56/2022 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त खसरा नम्बरान का हाल नक्शा व साबिक नक्शा मे अन्तर है तथा पूर्व नक्शे से भिन्न हाल नक्शा तरमीम की गई है तथा उक्त खसरा नम्बर 574 के पुराने नक्शें अनुसार अप्रार्थी स0 2 काबिज काश्त है जिसकी सीमाओ मे हाल नक्शें में गलत प्रकार से नक्शा संकुचित कर उक्त खसरा नम्बर 570, 576, 577, का नक्शा बढा दिया गया है ऐसी स्थिति में बिना नक्शा दुरूस्त के पत्थरगढी नही की जा सकती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 1 व 3 लगायत 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, इनको बार-बार रूक-रूक कर आवाज लगवायी गई, लेकिन कोई उपस्थित नही, अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2022/4487 दिनांक 20.10.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अन्य विचाराधीन प्रकरण स0 50/2022 मे ग्राम सानकोटडा के खसरा नम्बर 576 मे मौके पर खाली है व पडौसी खसरा नम्बरान भी मौके पर खाली है। उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई न्यायालय को स्थगन नही है। मौके पर विवाद होने की संभावना है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आंधी को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 576 रकबा 5.3400 हैक्टेयर स्थित ग्राम सानकोटडा पटवार हल्का सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर मे यदि मौके पर फसल न हो एव कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एव अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। **साथ ही तहसीलदार आंधी को यह आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण मुकदमा सं0 56/2022 उनवान रूपकंवर बनाम राजस्थान सरकार के अन्तिम निस्तारण तक उक्त पत्थरगढी आदेश की कियान्विति स्थगित रखी जावें।**

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ